190

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / 319/1832/ 2016 / 14–3 भोपाल, दिनांक 2 .2.2016

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल।

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
क्र. 1888 दि. 02/02/16
शाखा Add (7)
नि.स. प्रबंध संचालक

विषयः– नवीन मंडी/उपमंडी की स्थापना हेतु मापदण्ड निर्धारण बावत।

संदर्भः– इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक डी–15–8/07/14–3 भोपाल, दिनांक 26.2.2007 में संशोधन करने बावत।

–00–

इस विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा प्रदेश में नवीन मंडी/उपमंडी की स्थापना हेतु निर्धारित मापदण्ड संशोधित करते हुये निम्नानुसार नवीन मापदण्ड निर्धारित किया जाता है:–

क्रमांक	मंडी/उपमंडी	भूमि	बार्षिक आय (रूपये लाख में)	थोक व्यापारियों की संख्या
1	सामान्य क्षेत्र में नवीन मंडी की स्थापना।	6.000 हेक्टेयर (15.00 एकड़)	50.00	15
2	सामान्य क्षेत्र में नवीन उप मंडी की स्थापना।	2.000 हेक्टेयर (5.00 एकड़)	20.00	10
3	आदिवासी क्षेत्र में नवीन मंडी की स्थापना।	4.000 हेक्टेयर (10.00 एकड़)	30.00	10
4	आदिवासी क्षेत्र में नवीन उपमंडी की स्थापना।	2.000 हेक्टेयर (5.00 एकड़)	15.00	10

नोटः–1. कृषि उपज मंडी समिति के अन्तर्गत स्थापित उपमंडी का स्वत्रंत्र मंडी के रूप में उन्नयन किये जाने के फलस्वरूप निर्धारित मापदण्ड अन्तर्गत आय के अनुसार विभाजित मंडी समिति की आय प्रभावित नहीं होना चाहिये।

2. एक मंडी से दूसरी मंडी की दूरी 15 किलो मीटर रहेगी।

(अजय गुप्ता)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

ADD(1) 775
3/2/16

JD
4/2/16

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक डी–15–16/2019/14–2 भोपाल, दिनांक 31 मई, 2019

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल।

विषय :– नवीन मंडी/उपमंडी की स्थापना हेतु मापदण्ड निर्धारण बावत्।

संदर्भ :– इस विभाग का ज्ञापन क्र. 319/1832/2016/14–3 भोपाल, दिनांक 02.02.16

इस विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा प्रदेश में नवीन मंडी/उपमंडी की स्थापना हेतु निर्धारित मापदण्ड जारी किए गए थे।

मंडी समितियों में पदस्थ अमले की स्थापना व्यय तथा अन्य वैधानिक निधियों की पूर्ति हेतु प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन के क्रम में, घ–वर्ग की नवीन मंडी/उपमंडी की स्थापना हेतु निर्धारित मापदण्डों में सामान्य क्षेत्र एवं आदिवासी क्षेत्र में नवीन मंडी की स्थापना हेतु आय का मापदण्ड राशि रू0 50.00 लाख (रू. पचास लाख) के स्थान पर रू0 1.00 करोड़ (रू. एक करोड़), नवीन मापदण्ड निर्धारित किए जाते हैं।

शेष मापदण्ड यथावत रहेंगे।

31/5/2019
(प्रकाश कुमार माखीजा)
पदेन अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
क्र.Agri/109 दि.01/6/19
शाखा AD(विपणन)
निर्देश. प्रबंध संचालक

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/मंडी/बी-4/56/1/पार्ट-2/1855 भोपाल, दिनांक 29/03/2005

परिपत्र

विषय :- प्रदेश में नवीन मंडियों/उपमंडियों की स्थापना एवं उपमंडी का मंडी में उन्नयन के संबंध में दिशा-निर्देश।

-0-

प्रायः यह देखने में आया है कि प्रदेश में नई स्वतंत्र मंडी/उपमंडी की स्थापना या उपमंडी का मंडी में उन्नयन के लिए जन प्रतिनिधियों से या अन्य माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव मुख्यालय से उस क्षेत्र की मंडी समिति को कार्यवाही के लिये भेज दिये जाते है। जिन पर मंडी समितियां बगैर निर्धारित प्रकिया का पालन किये एवं प्रकरण की अर्थ पूर्ण परीक्षण के (जैसे प्रस्ताव की वाणिज्यिक व्यवाहरिकता का आंकलन, उपयुक्त स्थान की उपलब्धता का आंकलन एवं अन्य निर्धारित मापदण्डों/परिपत्र के अनुसार पूर्ति करने हेतु आंकलन/परीक्षण किये) प्रस्ताव बनाकर सीधे मुख्यालय भेज दिये जाते है। मंडी समितियों से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों के आधार पर शासन स्तर से अधिसूचना जारी हो जाने पर प्रारम्भ की गयी मंडियॉ/उप मंडियॉ प्रायः एक अन्तराल के बाद अकियाशील हो कर अपने अमले का ही भार वहन करने में अक्षम हो रही है ।

उपरोक्त कारणों से यह आवश्यक हो गया है कि एक निश्चित प्रकिया को अपनाकर नई मंडी/उपमंडी को खोलें तथा उपमंडी का मंडी में उन्नयन के लिए कार्यवाही की जाये। अतः तत्काल प्रभाव से नई मंडी/उपमंडी को खोलें तथा उपमंडी का मंडी में उन्नयन के लिए वर्तमान में प्रचलित प्रकिया के स्थान पर निम्नानुसार प्रकिया प्रभावशील की जाती है :-

प्रदेश में नई मंडी/उपमंडी को खोलने के लिए प्रकिया :

1. प्रदेश में नई मंडी/उपमंडी को खोलने तथा उपमंडी का मंडी में उन्नयन के लिए जन प्रतिनिधियों या अन्य माध्यम से प्राप्त सुझाव पत्र पर उस क्षेत्र विशेष की मंडी समिति सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करेंगी कि उस ग्राम/नगर/स्थान पर नवीन मंडी/उपमंडी खोला जाना उपयुक्त होगा या नहीं । जिसके अंतर्गत विशेष रूप सें पहुँच मार्ग की उपलब्धता, पानी, बिजली आदि की उपलब्धता एवं इस पर संभावित व्यय का आंकलन, व्यापारियों एवं किसानों के आने जाने के लिये स्थान सुरक्षित है कि नही आदि का आंकलन कर टीप दी जाये ।
2. इसके पश्चात् उपयुक्तता/अनुपयुक्तता के संदर्भ में कंडिका 01 में उल्लेखानुसार मंडी समिति प्रस्ताव/ठहराव कर वस्तुस्थिति से (विस्तृत टीप एवं प्रस्ताव/ठहराव के साथ) उप संचालक, आचंलिक कार्यालय की अनुशंसा के उपरांत जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यालय को प्रस्ताव भेजेंगी।
3. मुख्यालय स्तर पर इसका परीक्षण कर प्रस्तावित स्थान पर मंडी/उपमंडी खोली जाना है या नहीं, की सर्वप्रथम प्रशासकीय स्वीकृति माननीय अध्यक्ष, मंडी बोर्ड से प्राप्त की जायेगी।
4. यदि प्रस्ताव अनुसार मंडी/उपमंडी खोली जाने के लिये प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तब मुख्यालय के निर्देशों के पालन में शासन के निर्धारित मापदण्ड अनुसार भूमि की उपयुक्तता के संबंध में उप संचालक, आचंलिक कार्यालय से अनुमोदन कराकर उक्त

अधिग्रहण/क्रय करने की विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कराकर निर्धारित अन्य मापदण्डों की पूर्ति के साथ पूर्व में दी गई तथा वर्तमान में प्रचलित प्रश्नावली एवं जांच रिपोर्ट, मंडी समिति के प्रस्ताव/ठहराव का प्रस्ताव में समावेश कर उप संचालक, आंचलिक कार्यालय की अनुशंसा उपरांत जिला कलेक्टर के माध्यम से अधिसूचना के लिये प्रस्ताव मुख्यालय भेजे जावें।

5. मुख्यालय द्वारा प्रस्ताव की पूर्णता तथा मापदण्डों की पूर्ति का परीक्षण कर प्रस्ताव अधिसूचना के लिये शासन को भेजा जायेगा।

प्रदेश में उपमंडी का मंडी में उन्नयन के लिए प्रक्रिया :

6. प्रदेश में उपमंडी का मंडी में उन्नयन के लिए जन प्रतिनिधियों या अन्य माध्यम से प्राप्त सुझाव पत्र पर संदर्भित मंडी समीति सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करेंगी कि उस ग्राम/नगर/स्थान पर स्थापित उप मंडी का मंडी में उन्नयन किया जाना उपयुक्त होगा या नहीं। जिसके अंर्तगत विशेष रूप से स्वीकृत अमले पर होने वाला व्यय, तथा जिस मंडी से उपमंडी उन्नयनित होगी उस की आय पर उन्नयन उपरांत क्या प्रभाव पडेगा, मंडी घोषित होने पर आधार भूत सुविधाओं पर समावित व्यय एवं इसके लिये धन की उपलब्धता तथा शासन के निर्धारित मापदण्ड अनुसार भूमि की उपलब्धता आदि का आंकलन कर टीप तैयार की जाये ।

7. इसके पश्चात उपयुक्तता/अनुपयुक्तता के संदर्भ में कंडिका 01 में उल्लेखानुसार मंडी समिति प्रस्ताव/ठहराव कर वस्तुस्थिति से (विस्तृत टीप एवं प्रस्ताव/ठहराव के साथ) उप संचालक, आंचलिक कार्यालय की अनुशंसा के उपरांत ज़िला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यालय को प्रस्ताव भेजेंगी।

8. मुख्यालय स्तर पर इसका परीक्षण कर सर्वप्रथम प्रशासकीय स्वीकृति माननीय अध्यक्ष, मंडी बोर्ड से प्राप्त की जायेगी ।

9. यदि प्रस्ताव अनुसार उपमंडी का मंडी में उन्नयन के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तब मुख्यालय के निर्देशों के पालन में शासन के निर्धारित मापदण्ड अनुसार पूर्व में दी गई तथा वर्तमान में प्रचलित प्रश्नावली एवं जांच रिपोर्ट, मंडी समिति का प्रस्ताव/ठहराव का प्रस्ताव में समावेश कर उप संचालक, आंचलिक कार्यालय की अनुशंसा उपरांत कलेक्टर के माध्यम से अधिसूचना के लिये प्रस्ताव मुख्यालय भेजे जावें।

10. मुख्यालय द्वारा प्रस्ताव की पूर्णता तथा मापदण्डों की पूर्ति का परीक्षण कर प्रस्ताव अधिसूचना के लिये शासन को भेजे जावेगें।

(एस. के. वशिष्ठ) 27/3/07

प्रबंध संचालक

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

कमांक / मंडी / बी–4 / 46 / 1 / पार्ट–2 / 1856 – 57 भोपाल, दिनांक 29 / 03 / 2005

(27)

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति..............................,
जिला .... (म0प्र0)

उप संचालक,
आंचलिक कार्यालय,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
.... संभाग .... (म0प्र0)

प्रबंध संचालक 29/3/05
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स किसान भवन जेल रोड भोपाल

E-Mail

क्रमांक/नवीन मण्डी/विविध/46/62/ 325 भोपाल, दिनांक 16/07/2021

आदेश

प्रदेश में नवीन कृषि उपज मंडी/उप मंडी स्थापना, उपमंडी को स्वतत्र मंडी में उन्नयन/मंडी प्रांगण का विस्तार/उपमंडी प्रांगण का विस्तार या मंडी प्रांगण को नगर/शहर से वाहर स्थानान्तरित करने संबंधी प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्रीजी; माननीय केन्द्रीय मंत्रीगण, प्रदेश के माननीय मंत्रीगण, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा), माननीय विधायकगण, एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से समय-समय पर अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कृषकों/व्यापारियों की सुविधा संबंधी पत्र/प्रस्ताव मंडी बोर्ड मुख्यालय को प्राप्त होने पर प्रकरण का यथा समय में निराकरण करने के संबंध में निम्नानुसार अधिकारियो/कर्मचारियों की समिति का गठन किया जाता है:-

क्र0	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	नाम/पदस्थापना स्थल
1	संयुक्त संचालक/उप संचालक/(नवीन मंडी/ प्रंगण शाखा) तथा उनके सहयोगी के रूप में वरिष्ठ अंकेक्षक अथवा लेखापाल	मंडी बोर्ड मुख्यालय, भोपाल
2	संयुक्त संचालक/उप संचालक	आंचलिक कार्यालय (संबंधित क्षेत्र)
3	कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री	तकनीकी संभाग (संबंधित क्षेत्र)
4	भारसाधक अधिकारी/ सचिव/ उपयंत्री/ लेखापाल	कृषि उपज मंडी समिति (संबंधित क्षेत्र)

उपरोक्त गठित समिति संबंधित स्थान/नगर/क्षेत्र का संयुक्त स्थल निरीक्षण कर सर्व प्रथम शासकीय भूमि /निजी भूमि /कृषि उपजों की आवक/कृषि उपज के व्यापारियों/ संबंधित स्थान पर मंडी/उपमंडी की स्थापना होने पर वार्षिक आय का आंकलन/स्थानीय क्षेत्र के रहवासियों जन प्रतिनिधियों, कृषकों एवं व्यापारियों से सलाह/मशविरा करके म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल पत्र दिनांक 2/2/2016 एवं संशोधित मापदण्ड दिनांक 31/5/2019 के परिपेक्ष्य में तथा मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक/470-471 दिनांक 29/5/2018 द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रश्नावली में उल्लेखित बिन्दुवार प्रतिवेदन तैयार कर नियत समय-सीमा (अधिकतम एक माह में) प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल को प्रस्तुत करेगी।

प्रबंध संचालक संह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.

क्रमांक/नवीन मण्डी/विविध/46/62/ 326   भोपाल, दिनांक 16/07/2021

प्रतिलिपिः-

1 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल।
2 निज सहायक, प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
3 अपर संचालक/संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री/उप संचालक/कार्यपालन यंत्री मंडीबोर्ड मुख्यालय भोपाल।
4 संयुक्त संचालक/उप संचालक , म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त)।
5 कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी कार्यालय भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/ ग्वालियर/ जबलपुर/ सागर/ रीवा/सिवनी/ मुरैना/होशंगाबाद (इटारसी)/ मन्दसौर/खरगौन। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6 भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, (समस्त)। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 किसान भवन,अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/प्रांगण/नं.मं./10/3/ताल/ 1337 भोपाल, दिनांक 01/12/2023

प्रति,

1. संयुक्त संचालक,
   म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
   आचंलिक कार्यालय, ... (समस्त)
2. सचिव
   कृषि उपज मण्डी समिति.........................(समस्त)
   जिला ....(म0प्र0)

विषय:- प्रदेश की नवीन कृषि उपज मंडी समिति/उपमंडी स्थापना, उपमंडी का स्वतंत्र मंडी में उन्नयन/मंडी प्रांगण का विस्तार/उपमंडी प्रांगण का विस्तार या मंडी प्रांगण को नगर/शहर से बाहर स्थानान्तरित करने के संबंध में दिशा-निर्देश बावत्।

संदर्भ:-इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/नवीनमंडी/विविध/46/62/325-326 दिनांक 16/07/2021।

......000....

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा प्रदेश की नवीन कृषि उपज मंडी समिति/उपमंडी स्थापना, उपमंडी को स्वतंत्र मंडी में उन्नयन/मंडी प्रांगण का विस्तार/नवीन मंडी प्रांगण/मंडी प्रांगण को नगर/शहर से बाहर स्थानान्तरित करने के संबंध में विस्तारित दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

किन्तु कतिपय रूप से यह देखने मे आ रहा है कि अधिकांश आंचलिक कार्यालयों से प्रस्ताव की वाणिज्यिक व्यवहारिकता, उपयुक्त स्थान की उपलब्धता तथा अन्य निर्धारित मापदण्डों एवं जारी परिपत्र के अनुसार पूर्ण परीक्षण एवं आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति किये बिना ही प्रस्ताव सीधे मुख्यालय को प्रेषित किये जाते हैं, जो उचित नहीं है।

अत: पुन: निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश की नवीन कृषि उपज मंडी समिति/ उपमंडी स्थापना, उपमंडी को स्वतंत्र मंडी में उन्नयन/मंडी प्रांगण का विस्तार/नवीन मंडी प्रांगण/मंडी प्रांगण को नगर/शहर से बाहर स्थानान्तरित करने के संबंध में निम्न प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है-

1/ जन प्रतिनिधियों या अन्य माध्यम से प्राप्त सुझाव पत्र पर उस क्षेत्र विशेष की मंडी समिति सर्वप्रथम उस ग्राम/नगर/स्थान में मंडी/उपमंडी/प्रांगण विस्तार या नवीन मंडी प्रांगण की उपयुक्तता का परीक्षण करेंगी, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से पहुंच मार्ग, पानी, बिजली आदि की उपलब्धता एवं उस पर संभावित व्यय का आंकलन, व्यापारियों एवं किसानों के आवागमन की सुविधा एवं सुरक्षा आदि का आंकलन कर टीप अंकित की जायें।

2/ इसके पश्चात उपयुक्तता/अनुपयुक्तता के संदर्भ मे कंडिका 01 में उल्लेखानुसार मंडी समिति प्रस्ताव/ठहराव कर वस्तुस्थिति से संयुक्त संचालक, आंचलिक कार्यालय को अवगत कराएगी, जिस पर आंचलिक कार्यालय प्रस्ताव का परीक्षण कर अपनी स्पष्ट अनुशंसा कर, कि मंडी/उपमंडी/प्रांगण विस्तार/नवीन मंडी प्रांगण व्यवहार्य है या नहीं, की टीप अंकित कर वरिष्ठालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।

3/ शासन के निर्धारित मापदण्ड अनुसार भूमि की उपयुक्तता के संबंध में संयुक्त संचालक, आंचलिक कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग की संयुक्त स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, वर्तमान में प्रचलित प्रश्नावली एवं जांच रिपोर्ट, मंडी समिति के प्रस्ताव/ठहराव आदि का समावेश होने पर वरिष्ठालय द्वारा गठित समिति के आदेश क्रमांक/नवीन मंडी/विविध/46/62/325-326 दिनांक 16-07-2021 से अनुमोदित प्रतिवेदन/प्रस्ताव अनुसार आंचलिक कार्यालय/मण्डी समिति स्तर पर नजूल निर्वर्तन नियम 2020 के तहत आवेदन करने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

4/ नजूल निर्वर्तन नियम 2020 के तहत भूमि आदेश/आधिपत्य प्राप्त होने की सूचना विधिवत वरिष्ठालय को दी जावें। विविधत सूचना/आदेश प्राप्त होने पर प्राप्त प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी। पश्चात में भूमि के अधिग्रहण/क्रय करने की विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कराकर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जिला कलेक्टर के माध्यम से अधिसूचना का प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित किया जावे।

5/ वरिष्ठालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात शासन से समन्वय कर अधिसूचना के प्रकाशन की कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्त निर्देशों का पालन तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें।

01/12/23

(श्रीमन् शुक्ला)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Mangal

क्रमांक/प्रांगण/नं.मं./10/3/ताल/ 1338 भोपाल, दिनांक 01/12/2023

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल मुख्यालय।
2. अपर संचालक/संयुक्त/उपसंचालक/अधीक्षण यंत्री म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल, मुख्यालय।
3. कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय/ तकनीकी संभाग, ...(समस्त)।
4. ऋण स्वीकृति/लेखा/विधि/निर्माण/वि.जांच शाखा/आदि।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल